दिल्ली पोस्टल सर्किलों में अतिरिक्त विभागीय एजेंट

43. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सर्किल में ऐसे अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की डिविजन-वार संख्या कितनी है, जिन्होंने पांच वर्षों की सेवा पूरी कर ली है;

(ख) क्या सरकार इन अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को पोस्टमैन/ग्रुप "डी" कर्मचारियों के संवर्ग में नियमित करने का विचार रखती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पोस्टमैनों के संवर्ग में नियमित करने के लिए विभागीय परीक्षा में नियमित ग्रुप "डी" कर्मचारियों/पैकरों को ही अधिमान दिया जाता है, परन्तु अर्हता-प्राप्त, अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को यह सुविधा नहीं दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) संलग्न सूची के अनुसार **(देखिए विवरण)** ।

(ख) जी नहीं । वैसे, पोस्टमैन और वर्ग "घ" में नियुक्ति करते समय अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को बाहरी उम्मीदवारों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है । हाल ही में विभाग ने ऐसे आदेश जारी किए हैं जिनके अनुसार बाहरी उम्मीदवारों के कोटे में पोस्टमैनों की भरती तथा रिक्त पदों के अवशिष्ट (रिजिडुअल) कोटे में वर्ग "घ" काडर की भरती के मामले में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को प्रतिबन्ध आदेशों से छूट दे दी गई है ।

(ग) और (घ) जी नहीं । पोस्टमैनों के काडर में खाली पद बाहरी उम्मीदवारों और विभागीय वर्ग "घ" कर्मचारियों के बीच 50:50 के अनुपात में बंटे हुए हैं। पोस्टमैनों के काडर में बाहरी उम्मीदवारों के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत खाली पदों को उन अतिरिक्त विभागीय एजेंटों में से भरा जाता है जिन्होंने तीन वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली हो, जिनकी आयु 35 वर्ष से कम हो तथा जो परीक्षा उत्तीर्ण कर लें । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है ।

विवरण

दिल्ली सर्किल में 5 वर्ष से अधिक सेवा वाले अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की संख्या

डाक डिवीजन	
दिल्ली उत्तर	92
दिल्ली पूर्व	18
नई दिल्ली पश्चिम	27
नई दिल्ली सेन्ट्रल	9
नई दिल्ली दक्षिण-सेन्ट्रल	28
नई दिल्ली दक्षिण-पश्चिम	19
रेल डाक सेवा डिवीजन	
दिल्ली शार्टिंग	26
नई दिल्ली शार्टिंग	45
हवाई डाक	1
प्रधान कार्यालय	
दिल्ली मुख्य डाकघर	नहीं
नई दिल्ली प्रधान डाकघर	नहीं
संसद मार्ग	1
इन्द्रप्रस्थ प्रधान डाकघर	1
सरोजनी नगर	1
रमेश नगर	1
लोधी रोड	नहीं
कृष्णा नगर	3
निदेशक विदेश डाक	नहीं
सर्किल कार्यालय	1
योग	273

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : माननीय सभापति जी, यह सवाल तीन लाख ई.डी. कर्मचारियों का है और इसके साथ ही सबूर कमीशन की रिपोर्ट का सवाल भी है । सबूर कमीशन को 30-6 तक एक्सटेंशन दिया गया था और अब 30-6 के बाद कोई अतिरिक्त समय भी नहीं दिया गया है । एक और बात की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । ई. डी. कर्मचारियों के साथ आउटसाइडर की तरह व्यवहार किया जाता है और कई बार तो वैसा व्यवहार भी नहीं किया जाता है । ई. डी. कर्मचारी पांच वर्ष से भी अधिक समय से हैं और उन्होंने 1984 में परीक्षा भी पास कर ली है और उसके बाद ट्रेनिंग भी ले ली है, लेकिन फिर भी उनको इम्पलायमेन्ट नहीं दिया गया है । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली में सैकड़ों पोस्टमैन और पैकर की जगह खाली है और देश के अन्य स्थानों पर भी हजारों जगह खाली होंगी । आप जानते हैं कि पोस्टमैन आपके विभाग का बेसिक अंग है । आप बाहर से दिल्ली में डेली वेजज पर लोगों को रखते हैं । आप ई. डी. कर्मचारियों की इन पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं करते हैं ? उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपने संसदीय सौंध में 6 वर्ष से कर्मचारी काम कर रहा है, ट्रेड है, उसको भी अभी तक काम नहीं दिया गया है । इतनी इम्पार्टेंट जगह पर वह काम कर रहा है ।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, ई.डी. कर्मचारी हमारी डाक व्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग हैं और हमारी हमेशा यह कोशिश रही है कि इनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जायें, जल्दी से जल्दी इनको स्थायी बनाया जाय और सब तरह से इन कर्मचारियों की सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश हमेशा होती रही है । सबूर कमीशन का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। सबूर कमीशन अपनी रिपोर्ट जल्दी दे देता, लेकिन क्योंकि वेतन आयोग की रिपोर्ट आने वाली थी, इसलिये उचित यही समझा गया कि उस रिपोर्ट के आने के पश्चात जो भी स्थिति हो उनको ध्यान में रखते हुए सबूर कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करे । हम उनकी रिपोर्ट के आने का इन्तजार कर रहे हैं । (व्यवधान) वह इंटेरिम रिपोर्ट थी दूसरे काम के लिए लेकिन मुख्य रिपोर्ट अभी आनी बाकी है । ऐसा होते ही हम उसको क्रियान्वित करने के लिए अपने हाथ में लेंगे । कुछ दिक्कत ई. डी. कर्मचारियों के साथ पिछले एक डेढ़ साल से हुई है और वह इस बात से हुई है कि सरकार ने नयी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है । हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हटाया जाए । कुछ हद तक वह हट गई है । हम वित्त मंत्रालय से निरन्तर सम्पर्क में हैं और हम चाहते हैं कि और ज्यादा रोक में ढील कर दी जाए ताकि जो कर्मचारी ई.डी. कर्मचारी इतने वर्षों से काम कर रहे हैं? उनको जल्दी से जल्दी आगे की श्रेणी में ला सकें और उनको सुविधाएं प्रदान कर सकें ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मेरा सवाल था कि हजारों से ऊपर पोस्टमैन और पैकर की जगह देश में खाली है और सैकड़ों की संख्या में दिल्ली के सभी सर्कलों में खाली है । आपने खाली जगह जो पिछले पांच वर्ष से है उनकी संख्या 273 बताई है जो खाली जगह है चाहे कर्मचारियों के मरने से हों या प्रोमोशन से हों उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और खास करके जो आपने 32 आदमियों को ट्रेनिंग दे दी है उनको भी आप नियुक्ति नहीं कर रहे हैं । यहां पर तो कोई रोक नहीं है । जो रोक लगाई गई है उसके बाद जो पोस्ट बची हुई है जिसको डेली वेजेज से भरते हैं वहां पर ई.डी. कर्मचारियों को क्यों नहीं भरते हैं? दूसरा सवाल मेरा यह है कि सबूर कमेटी का 30-6-86 तक एक्सटेंशन था, उसके बाद उसको एक्सटेंड नहीं किया गया है जब एक्सटेंड नहीं किया गया है तो उस की रिपोर्ट का क्या होगा । मैं समझता हूं कि सबूर कमेटी को फोर्थ पे कमीशन की रिपोर्ट के पहले डिसकस हो कर के सामने आना चाहिए था जिससे आपके फोर्थ पे कमीशन की रिपोर्ट आती और उधर ई.डी. कर्मचारियों की याद आती इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरी जगह जहां ई.डी. कर्मचारियों की स्थिति है अगर दूसरी जगह कोई प्राइवेट एजेंसी इस प्रकार से कर्मचारियों से काम ले तो उनके बन्धुआ मजदूर कहते हैं जबकि भारत सरकार के तीन लाख ऐसे कर्मचारी इम्पलाइड हैं । न उनको सरकारी कर्मचारियों की सुविधा है, न मकान का किराया मिलता है, न दवा, न छुट्टी और

न पेंशन; इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप ई.डी. कर्मचारियों को भी अवसर दें जिससे वे समझ सकें कि वे सरकारी कर्मचारी हैं ।

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने एक दूसरी बहस प्रारम्भ कर दी है । इसका मैं थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूंगा । ई.डी. कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं । यह सारी व्यवस्था इस प्रकार की है कि वह अपना कुछ काम अपने ढंग से करेंगे और कुछ काम हमारा करेंगे और इसके लिए उनको कुछ पारिश्रमिक भी मिलेगा । इस स्थिति को साफ तौर से हमें समझना चाहिये । वह बिल्कुल पार्ट टाइम तरीके से काम करते हैं । व्यवस्था में यह लिखा हुआ है कि उसका दूसरा कोई न कोई स्थायी काम होना चाहिये । जो यह व्यवस्था चल रही है इसको हम इसी प्रकार से चलने देना चाहते हैं लेकिन कुछ व्यवस्था हमने बनाई है ताकि इन में से हम स्थायी बना सकें । क्योंकि खाली जगहों को भरने पर रोक लगी हुई है लेकिन वह रोक काफी चली गई है इससे काफी राहत मिलेगी । सबूर कमेटी की रिपोर्ट आते ही सब तरह से हम इसको ठीक करेंगे । इस महीने में ही रिपोर्ट आने वाली है । मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह पहले आनी चाहिये थी । वेतन आयोग की रिपोर्ट के आने से भी उनको सुविधा मिलेगी ।

SHRI. V. GOPALSAMY : Mr. Chairman, Sir, the Government very often advocates the policy of abolition of bonded labour in the country. But it is very unfortunete that thousands of extra-departmental employees of the postal department are still suffering. They are the worst sufferers of the system of bonded labour in the Government. The hon. Minister has just now said that they are doing other work and thet they do this as a part-time job. Sir, they do not have any other work and that is why they suffer very much. They get meagre wages and they do not enjoy the benefits which are available to the regular Goverment employees. There has been a demand since decades to regularise these extra-departmental employees. It shows the callous attitude of the Government, even after all these years, when they say 'it will be done as soon as possible; they will be regularised soon'. I would like to have a categorical reply from the Minister: when will these employees be regularised? Could he give a time-bound programme?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: I do not think that the programme has at any time decided that it should be made a regular service. The Government's stand, all along, has been that E.D. employees are not whole-time government servants. They are expected to work only for a few hours and they have other normal occupation. They do this postal work in their own houses and for this we are providing them with a certain amount of remuneration which has been increased from time to time. Even when the dearness allowance is increased we give them some raise, but the basic idea remains that they are not whole-time government servants and we have no intention of making them as such.

श्री राम अवधेश सिंह : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सबूर कमीशन के टर्म्स आफ रिफेरेंस और फोर्थ कमीशन के टर्म्स आफ रिफेरेंस में बहुत अंतर है क्या ? क्योंकि प्ली ले रहे हैं कि सबूर कमीशन की रिपोर्ट आयेगी उसके बाद कार्यवाही की जायेगी या हम फोर्थ कमीशन की रिपोर्ट के आलोक में विचार करेंगे । तो क्या दोनों कमीशन्स के टर्म्स आफ रिफेरेंस में बहुत अंतर है । अगर अंतर है तो उसको कटेगोरिकली बतायें ।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, ये दो बिल्कुल जुदा व्यवस्थाएं हैं । ई.डी. की व्यवस्था जैसा मैंने बताया दूसरे प्रकार की है और ये कमीशन की व्यवस्था स्थायी सरकारी कर्मचारियों के लिए है । इसलिए दोनों में अंतर होगा ही । प्रश्न यहीं है कि

उस रिपोर्ट के पहले वेतन आयोग की रिपोर्ट को आना चाहिए बाद में आने से इं.डी. कर्मचारियों के लिए क्या फायदा होगा। सवाल हमें यही देखना है। यह रिपोर्ट आने की मंशा यही थी कि वेतन आयोग की रिपोर्ट आ जाये। सबूर कमीशन इसी 23 जुलाई को पे कमीशन वालों से बातचीत कर रहे हैं कि किस पृष्ठभूमि में उनसे बात की जाये। इसी महीने वह रिपोर्ट आने वाली है और मैं समझता हूं कि यह निर्णय सबूर कमीशन का ठीक ही था कि वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद वे सारी व्यवस्था पर विचार करें फिर अपनी फाइनल रिपोर्ट दें।

श्री राम अवधेश सिंह : टर्म्स आफ रिफैरेंस में कुछ अन्तर है? यह तो बताया जाये।

MR. CHAIRMAN : Next question.

Problems of the paper industry in West Bengal

*44. SHRI SURAJ PRASAD :
SHRI GURUDAS DAS GUPTA :†

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether a 17-member delegation of West Bengal State Assembly had met him recently on the problems of paper industry in the State and on the question of scrapping the present freight equalisation scheme; and

(b) if so, what are the details of the demands made by the delegation and Central Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) Yes, Sir.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Gurudas Das Gupta.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The points made by the delegation were as follows :

(i) The critical problem of raw-material shortage being faced by all the large paper mills, in West Bengal will have to be sorted out by evolving an effective National Policy whereby raw-materials needed can be made freely available irrespective of State boundaries.

(ii) To overcome technological obsolescence adversely effecting the viability of the large Paper Mills, it is necessary to implement a programme of modernisation with adequate financial support from All India Financial Institutions.

(iii) The package of assistance already agreed upon in the case of Bengal Paper Mills should be implemented by all the Banks concerned so that the unit can reopen without further delay.

(iv) Titagarh Paper Mills should be nationalised by Government of India in the Public interest.

(v) United Bank of India should withdraw the case it has filed before the Calcutta High Court so that India Paper Pulp Company can secure Institutional Finance by hypothecation of its assets.

(vi) Freight equalisation scheme for coal and steel should be abolished or should be extended to other raw materials for industrial use.

The delegation was informed as follows :-

(i) The State Government should furnish details of raw material requirements, supplies being drawn from neighbouring States and the extent of shortfall being experienced for considering the matter further.